मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

चर्चा में क्यों?

[मुख्यमंत्री](#) डॉ. मोहन यादव **14 अगस्त 2025** को मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में [मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना](#) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त के रूप में 17,500 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे।

- मार्च 2025 तक इस योजना के तहत **83 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 17,500 करोड़ रुपए प्रदान किये जा चुके थे,** जिससे राज्य के कृषक समुदाय को सहायता मिली।

मुख्य बिंदु

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में

- **परिचय**
  - सितंबर 2020 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  - **मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना** को [PM किसान सम्मान निधि योजना](#) के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए के अतिरिक्त, सालाना 6,000 रुपए और प्रदान करके छोटे एवं सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिये तैयार किया गया है।
    - यह लाभ **2,000 रुपए की तीन किस्तों में** दिया जाता है।
- **पात्रता मापदंड:**
  - किसानों को **PM किसान सम्मान निधि योजना** (अनिवार्य ई-KYC) के तहत पंजीकृत होना चाहिये।
  - आवेदक **मध्य प्रदेश** का **स्थायी निवासी** होना चाहिये।
  - किसान के पास **कृषि योग्य भूमि होनी चाहिये** जहाँ वह कृषि कार्य कर सके।
  - **अपात्र किसानों** में **आयकरदाता**, **निर्वाचित प्रतिनिधि** और **सरकारी कर्मचारी** शामिल हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

- **शुरुआत:** दिसंबर 2018
- **प्रकार:** [केंद्रीय क्षेत्रक योजना](#) (100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा)
- **उद्देश्य:** पूरे भारत में भूमि-धारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- **सहायता राशि:** प्रतिवर्ष 6,000 रुपए (2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में)
- **भुगतान:** 100% [प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)](#) आधार-आधारित सत्यापन और वास्तविक समय भुगतान निगरानी के माध्यम से
- **पात्रता:** सभी भूमि-धारक किसान परिवार (कुछ अपवादों के साथ)
- **लाभार्थी पहचान:** दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा
- **क्रियान्वयन एजेंसी:** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

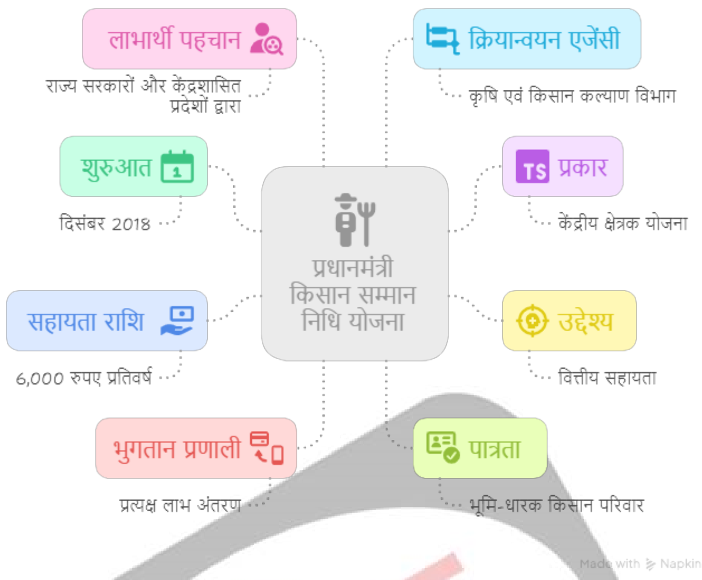

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mps-cm-kisan-kalyan-yojana